न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02 / 2017

प्रविष्टि दिनांक 05.06.2017

1—रामकल्याण पुत्र लाला जाति जाट निवासी इमामनगर तहसील पीपलू जिला टोक

2—रामसहाय पुत्र लाला जाति जाट निवासी इमामनगर तहसील पीपलू जिला टोक

.............प्रार्थीगण

बनाम

1—लादू पुत्र लाला जाति जाट निवासी इमामनगर तहसील पीपलू जिला टोक

2—काली देवी पत्नि पोखर जाति जाट निवासी इमामनगर तहसील पीपलू जिला टोक

3—भीला देवी पत्नि रामेश्वर जाति जाट निवासी इमामनगर तहसील पीपलू जिला टोक

4—आवंटन सलाहकार समिति. उपखण्ड अधिकारी टोंक

..........अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री औमप्रकाश यादव,अभिभाषक प्रार्थीगण

(2) श्री सीताराम विजय,अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांक 26.02.2018**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18.09.1978 को लादू पुत्र लाला जाति जाट निवासी इमामनगर तहसील पीपलू को आ0ख0नं0 194 रकबा 3 बीघा भूमि वाके ग्राम इमामनगर तहसील टोंक हाल पीपलू में आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने दोराने बहस कथन किया कि भू—आवंटन सलाहकार समिति ने उक्त आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट प्राप्त नही की है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा औक्यूपाईड एंव अन औक्यूपाईड भूमि की सूची नही बनवाई है। आवंटन के समय भूमि खाली नही थी,बल्कि प्रार्थीगण का आवंटन तिथी से पूर्व से कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा कांश्त नही रहा है,उसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त भूमि को गलत रूप से अप्रार्थी 2 व 3 को विक्रय कर दिया। उक्त भूमि सिचायचक होने से प्रार्थीगण को तहसील कार्यालय से धारा 91 राज0 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तेहत कब्जे बाबत नोंटिस प्राप्त होते रहे है और खसरा गिरदावरी मे भी प्रार्थीगण का कब्जा का अंकन है। आवंटी के पिता के खाते मे 40 बीघा से भी अधिक भूमि

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर टोंक

आवंटन के समय थी,जिसके नोशनल शेयर के हिसाब से आवंटी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी मे नही आता है। आवंटी ने आवंटन सलाहकार समिति को धोखा देकर केवल मात्र भूमि हथियाने के उददे्श्य से आवंटन करवाया है। अतः आवंटन निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दोराने बहस कथन किया कि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी लादू पुत्र लाला जाति जाट को आ0ख0नं0 194 रकबा 3 बीघा भूमि वाके ग्राम इमामनगर तहसील टोंक हाल पीपलू में दिनांक 18.09.1978 को आवंटन किया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना करने के उपरान्त खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर अप्रार्थी लादू द्वारा उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को विक्रय की है। प्रार्थीगण द्वारा लगभग 38 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य है। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर 1994 एस.सी. 1128 व आर.आर.टी 2011 पृष्ठ संख्या 383 उद्वरित किये है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अप्रार्थी लादू पुत्र लाला जाति जाट निवासी इमामनगर द्वारा आवेदन पत्र भू–आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनाक 18.09.1978 को खसरा नम्बर 194 रकबा 3 बीघा भूमि वाके ग्राम इमामनगर तहसील टोंक मे आवंटन किया गया है। आवंटी को आवंटन शर्तो की पालना करने के उपरान्त खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर आवंटी ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को विक्रय की है जो जमाबंदी सम्वंत 2073 वाके ग्राम इमामनगर तहसील पीपलू मे अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी मे दर्ज है।अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा आवंटन निरस्त करवाने बाबत कोई दस्तावेजात साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया गया है, जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। प्रार्थीगण द्वारा लगभग 38 वर्ष उपरान्त आवंटन निरस्त करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य नहीं है।कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रावधानानुसार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रतिपक्षी को भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर लादू पुत्र लाला जाति जाट निवासी इमामनगर तहसील पीपलू को दिनांक 18.09.1978 को ग्राम इमामनगर तहसील टोंक हाल पीपलू की आराजी खसरा नम्बर 194 रकबा 3 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक